

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI****ORIGINAL APPLICATION NO. 09 OF 2025****IN THE MATTER OF**

VINAY SHRIVASTAVA

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENTS

Index

| S No. | Particulars | Page No |
|--------------|--|----------------|
| 1. | Counter Affidavit on Behalf of Respondent No. 12 as per memo of parties dated 15.04.2025, to the Original Application. | 3-12 |
| 2. | ANNEXURE- R-1 A True copy of the order dated 17.07.2025 passed by this Hon'ble Tribunal. | 13-14 |
| 3. | ANNEXURE- R-2 A true copy of E-Tender-Cum-E-Auction advertised, by District Magistrate district Hamirpur, on 01.01.2025. | 15-24 |
| 4. | ANNEXURE- R-3 A true copy of the Letter of intent issued in favour of the answering Respondent by District Magistrate district Hamirpur vide letter dated 13.02.2025 | 25-27 |
| 5. | ANNEXURE- R-4 | 28-30 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| | A true copy of GST certificate of answering Respondent no. 12 issued on 05.02.2024. | |
| 6. | ANNEXURE- R-5 A true copy of application in respect of clean Environment/ Environment Clearance certificate dated 15.09.2025. | 31 |
| 7. | VAKALATNAMA | 32 |

Filed by



ASHISH PANDEY

Advocate for Respondent No. 12
Chamber No. 203, Second Floor,
M.C. Setalvad Lawyers Chambers,
Supreme Court of India
New Delhi- 110001
8447229428
Advocateashishpandey16@gmail.com

Date: 20.09.2025

Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHII****ORIGINAL APPLICATION NO. 09 OF 2025****IN THE MATTER OF**

VINAY SHRIVASTAVA

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENTS

**COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 12
i.e. M/s JAI SHREE MAHAKAL CONSTRUCTION AS PER MEMO
PARTIES DATED 15.04.2025.**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH**PRELIMINARY SUBMISSIONS**

1. The Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 17.07.2025, directed the Respondents in the present Original Application to submit their responses within four weeks time. A true copy of Order dated 17.07.20225 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R- 1**.
2. The main issue pertaining to the preparation of District Survey Report – 2024 (hereinafter referred to as DSR) without the proper replenishment study for District Hamirpur and the same is pending for adjudication before this Hon'ble Tribunal in the present Original application.
3. It is further submitted that the DSR has to be prepared by the State Government for the district after conducting

replenishment studies to ensure environmental sustainability and balance in sand mining. Which is sin qua non for identification of area prone to erosion or aggradation. The DSR must be based on Sustainable Sand Mining and Management Guidelines, 2016 as well the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (hereinafter referred to as SSMG-2016 & EMGSM, 2020) issued by the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (hereinafter referred to as MoEF&CC).

4. It is further submitted that E-tender-Cum-E-Auction dated 09.11.2024 as per the Mines and Minerals Concession Rules, 2021(hereinafter referred to as MMCR,2021) was advertised by the District Magistrate district Hamirpur for Sand/Morrum mining from riverbed of Dhasan River, Village- Lidhaura, Khand No- 01, Gate No- 1118, Lease Area- 18.00 Ha, Tehsil- Rath, District- Hamirpur, Uttar Pradesh. A True copy of E-Tender-cum-E-Auction issued by District Magistrate district Hamirpur is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- R-2**.
5. After the successful bidding, the Letter of Intent was issued on 17.01.2025 by the District Magistrate, district Hamirpur to answering Respondent in respect of Sand/Morrum to the tune of 2,88,000 cubic meters. A true copy of the letter of intent issued on 17.01.2025 by the District Magistrate, district Hamirpur to the answering Respondent is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-3**.
6. It is submitted that for the kind of perusal of the Hon'ble Tribunal the registration certificate of Good and Service Tax

issued on 05.02.2024 to the answering Respondent is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-4**.

7. It is further submitted that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred as MoEF&CC), has made it mandatory to obtain Environmental Clearance prior to establishing or expansion of any such project or activity which is listed in the schedule of notification. Environmental Clearance required for:

- a. All new projects or activities listed in the schedule of this notification.
- b. Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the schedule, after expansion or modernization.
- c. Any change in product- mix in an existing manufacturing unit included in schedule beyond the specified range.
- d. Objective of this process is to impose certain restrictions and prohibition on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts.

Therefore, the answering Respondent has already applied, for prerequisite Environmental Clearance Certificate as per the prescribed rules, on 15.09.2025 with Uttar Pradesh, State Environment Impact Assessment Authority. A

True copy of application dated 15.09.2025 to UP-SEIAA is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-5**.

8. It is further submitted that the answering Respondent denies all claims, contention, submission, allegation, and/or averment made by the applicant in the Original Application. which is contrary to or inconsistent with the present reply or the records of the case.
9. It is submitted that the answering Respondent is a law-abiding citizen of India having full faith and regard for the law of land.

Para-wise Reply

10. That the averments made in Paragraph 1 to 3 of the application being introductory in nature. Therefore, need no comments from the answering respondent.
11. That the averments made in Paragraphs 4.a to 4.d of the application relate to the queries raised by the applicant regarding the preparation of the District Survey Report in accordance with the SSMG, 2016, and the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (hereinafter referred as EMGSM) issued by MoEF&CC. It is respectfully submitted that the said matters do not fall within the domain of the answering respondent. The concerned authorities of the state may response on these issues.
12. That the averments made in Paragraph 5 of the application pertain to the jurisdiction of the Hon'ble National Green Tribunal. As the said averments are related to matter

of law, hence need no comments from the answering respondent.

13. That the averments made in Paragraph 6(i) to (iv) of the application relate to the SSMMG, 2016 and the EMGSM, 2020, as issued by the MoEF&CC. It is respectfully submitted that the said matters do not fall within the domain of the answering respondent. The concerned authorities of the state may response on these issues.
14. That the averments made in Paragraph 6(v) and 6(vii) to 6(xii) of the application pertains to the Standard Operating Procedure (hereinafter referred as SOP) formulated by the Uttar Pradesh State Environment Impact Assessment Authority (hereinafter referred as UP SEIAA) for the preparation and modification of the District Survey Report for sand mining, as well as the deliberations undertaken in the meetings of the UP SEIAA/State Expert Appraisal Committee (hereinafter referred as SEAC) concerning the District Survey Report of District Hamirpur, Uttar Pradesh. It is respectfully submitted that the said matters do not fall within the domain of the answering respondent. The concerned authorities of the state may response on these issues.
15. That the averments made in Paragraph 6(vi) of the application pertain to the rivers located in District Hamirpur, Uttar Pradesh. As these are matters of record, hence need no comments from the answering respondent.
16. That the averments made in Paragraphs 6(xiii) to 6(xvi) of the application pertain to the e-tender-cum-e-auction process and the Final District Survey Report, 2024, for

mining activities conducted by the District Administration, Hamirpur, Uttar Pradesh. It is respectfully submitted that the said matters do not fall within the domain of the answering respondent. The concerned authorities of the state may response on these issues.

17. That the averments made in Paragraphs 7 and 8 of the application pertain to the process of preparation, approval, and implementation of the Final District Survey Report, 2024, by the District Administration, Hamirpur, without incorporating a replenishment study and geo-coordinates. It is respectfully submitted that the answering respondent has no comments to offer on these aspects, as the issues raised therein are subject to the consideration and determination of this Hon'ble Tribunal.
18. That averments made in Paragraphs 9 and 10, need no comments from the answering respondent.
19. That the averments made in Paragraph A to J in Grounds of the application as the same pertain to the grounds raised by the applicant, which are matters to be adjudicated by this Hon'ble Tribunal, hence need no comments from the answering respondent.
20. That the averments made in Paragraph (a) to (f) of the prayer clauses in the application as they pertain to matters for adjudication by the Hon'ble Tribunal, hence need no comments from the answering respondent.

FILED BY:



ASHISH PANDEY

Advocate for Respondent No.12
Chamber No. 203, Second Floor
M.C. Setalvad Lawyers Chambers,

Supreme Court of India

New Delhi- 110001

8447229428

Advocateashishpandey16@gmail.com

Date: 20.09.2025

Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPLE BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 09 OF 2025

IN THE MATTER OF

VINAY SHRIVASTAVA


.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENTS


AFFIDAVIT



I, Swatantra Vijay Singh, S/o Siddha Maan Singh, aged about 36 years, R/o House No. 535, Sector N, Near Smriti Plaza, Aashiyana Colony, LDA Colony, PO: LDA Colony, Lucknow, Uttar Pradesh 226012, Partner Jay Shri Mahakal Construction, presently at Lucknow do hereby solemnly affirm and state as under.

1. That, I am Prop. of Respondent no. 12 in the above mentioned in the Original Application and I am fully conversant with the facts and circumstances of the case. Therefore, I am competent to swear the present affidavit in my official capacity.
2. That, I have read and understood the contents of the accompanying reply and the same has read over to me and explained to me by my counsel in my vernacular and the same are true and correct to the best of my knowledge and belief as per the record available with my office, and no part of the same are false and nothing material record have been concealed therefrom.


SWORN & VERIFIED
 BEFORE ME
 3. The Annexures annexed with the reply are true copies of the
 Sign: VIJAY KUMAR DWIVEDI
 respective originals.
 year 22366 Govt. of UP




DEPONENT

VERIFICATION

I the above-named deponent, do hereby verifying that the contents of para no 1 to 3 of the present affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material have been concealed therefrom.



Verified at Lucknow on _____ day of September of 2025.



DEPONENT

THROUGH,

ASHISH PANDEY
ADVOCATE

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
16/9/25
SHRI. SUJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
No. 22368 Govt of U.P.

Item No. 07

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 09/2025
(IA No. 319/2025, IA No. 318/2025, IA No. 316/2025,
IA No. 37/2025 & IA No. 32/2025)

Vinay Shrivastav

Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 17.07.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Gaurav Kumar Bansal, Ms. Nandita Bansal, Ms. Chandrika Upadhyay
& Ms. Atharva Upadhyay, Advs. for Applicant

Respondent: Mr. K.M. Natraj, ASG (Through VC) with Mr. Vinod Shahi, AAG (Through
VC) and Mr. Ankit Verma, Adv. for the State of UP
Ms. Garima Prashad, AAG (Through VC) with Ms. Priyanka Swami, Adv.
for SEIAA, UP
Mr. Atmaram N.S. Nadkarni, Senior Advocate with Mr. S.S. Rebello, Mr.
Kabir Singh & Ms. Deepti Arya, Advs. for R - 30
Mr. Narender Pal Singh, Adv. for MoEF & CC (Through VC)
Mr. Srinivas Vishven, Adv. for CPCB
Mr. Ashish Pandey, Adv. for R - 12, 28 & 30
Mr. Gaurav Agarwal, Adv. R - 11, 13, 17, 19 to 24 & Sutra Constructions
Ms. Megha Karnwal & Mr. Avishal Singh, Advs. for R - 10, 18, 25 & 26

ORDER

1. The Tribunal by order dated 15.04.2025 had impleaded the Project Proponents in whose favour the Letters of Intent (LOIs) were issued.
2. Learned Counsel appearing for the State of UP has informed that all the newly added respondents have been served through Respondent No. 5, District Mining Officer.
3. The affidavit of service has also been filed by learned Counsel for the Applicant.

4. Learned Counsel for the State of UP has also informed that so far as Respondent No. 28, Shri Omendra Yadav is concerned, his LOI has been cancelled.
5. Since the concerned project proponents have already been impleaded, therefore, in IA No. 316/2025, IA No. 318/2025 and IA No. 319/2025 - applications for impleadment on their behalf, no further orders are required which are accordingly disposed of.
6. Learned Counsels appearing for the newly added respondents seek four weeks' time to file the reply.
7. Rejoinder, if any, be filed within two weeks thereafter.
8. List on 22.09.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

July 17, 2025
Original Application No. 09/2025
(IA No. 319/2025, IA No. 318/2025,
IA No. 316/2025, IA No. 37/2025 &
IA No. 32/2025)
dv



TRUE COPY

कार्यालय जिलाधिकारी, Hamirpur
(खनन अनुभाग)

पत्रांक :-UP/Hamirpur/No-1152, Dated: 09-11-2024

दिनांक :-09-11-2024

ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की जनपद Hamirpur में नदी तल में उपलब्ध Morrur के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23(1) के अंतर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से उक्त नियमावली के अध्याय-4 के तहत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्धता घोषित करते हुए इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को निम्नवत शर्तों व कालयोजना/अवधि में ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रित किया जाता है:-

1. क्षेत्र का विवरण:-

| क्र.सं. | एरिया कोड | उपखनिज का नाम | नदी का नाम | क्षेत्र का विवरण | | | | जियोकोर्डिनेट | | नियमावली 2021 के अनुसूची-1 के अनुसार रायव्दी दर (रु० प्रति घन मी) | खनन योग्य आंकित उप खनिज की मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष) | प्रथम वर्ष में आंकित मात्रा की कुल रायव्दी रु० में | अर्नेस्ट मनी (कॉलम 13 में अंकित सकल घनराशि का 25 प्रतिशत रु० में) |
|---------|------------|---------------|------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|---|---|--|---|
| | | | | तहसील | ग्राम/एरिया कोड | गाटा सं०/ खंड सं०/ जोन सं० | क्षेत्रफल (हे० में) | बर्खास्त | देशांतर | | | | |
| 1 | 1536590201 | Morrur | Yamuna | Hamirpur | Chandupur Daria - 153659 | 61 by 1 and 62k | 24.2400 | A-25°-58'39.68" B-25°-58'44.85" C-25°-58'55.02" D-25°-59'4.55" E-25°-59'9.54" F-25°-59'6.61" G-25°-58'58.96" H-25°-59'1.45" I-25°-58'53.54" J-25°-58'52.06" K-25°-58'44.23" | A-80°-7'31.85" B-80°-7'36.6" C-80°-7'24.51" D-80°-7'8.8" E-80°-6'54.47" F-80°-6'51.8" G-80°-7'4.23" H-80°-7'6.91" I-80°-7'17.5" J-80°-7'16.03" K-80°-7'26.66" | 150 | 387840 | 581760000.00 | 14544000.00 |
| 2 | 1536520201 | Morrur | Yamuna | Hamirpur | Bhatpura Daria - 153652 | 73 by 16 | 27.5000 | A-26°-1'26.03" B-26°-1'48.66" C-26°-1'57.69" D-26°-1'57.27" E-26°-2'8.33" F-26°-2'7.64" G-26°-1'44.53" H-26°-1'21.47" | A-80°-5'58.43" B-80°-6'11.64" C-80°-6'16.92" D-80°-6'19.87" E-80°-6'22.85" F-80°-6'26.42" G-80°-6'17.98" H-80°-6'5.69" | 150 | 440000 | 660000000.00 | 16500000.00 |
| 3 | 1536720201 | Morrur | Yamuna | Hamirpur | Merapur Daria - 153672 | 42 by 1 | 33.0000 | A-25°-56'48.95" B-25°-56'48.91" C-25°-56'39.85" D-25°-56'18.07" E-25°-56'18.91" F-25°-56'29.73" G-25°-56'43.81" | A-80°-11'5.69" B-80°-11'24.82" C-80°-11'35.22" D-80°-11'43.01" E-80°-11'35.95" F-80°-11'29.18" G-80°-11'14.71" | 150 | 528000 | 792000000.00 | 19800000.00 |
| 4 | 2185240201 | Morrur | Yamuna | Hamirpur | manki khurd thok daria - 218524 | 11 and 52 by 3 | 8.0000 | A-26°-8'46.07" B-26°-8'45.56" C-26°-8'45.47" D-26°-8'44.74" E-26°-8'42.55" F-26°-8'36.24" G-26°-8'36.17" H-26°-8'28.16" I-26°-8'27.97" J-26°-8'24.66" K-26°-8'24.63" L-26°-8'43.21" M-26°-8'49.78" | A-79°-57'42.04" B-79°-57'42.3" C-79°-57'43.93" D-79°-57'44.12" E-79°-57'48.69" F-79°-57'49.18" G-79°-57'46.91" H-79°-57'48.6" I-79°-57'51.35" J-79°-57'50.81" K-79°-57'53.1" L-79°-57'50.96" M-79°-57'48.89" | 150 | 128000 | 192000000.00 | 4800000.00 |
| 5 | 1536290201 | Morrur | Yamuna | Hamirpur | Misripur - 153629 | 472 | 7.0000 | A-26°-4'50.04" B-26°-4'42.15" C-26°-4'33.91" D-26°-4'29.5" E-26°-4'31.32" F-26°-4'34.72" G-26°-4'41.6" H-26°-4'50.02" | A-79°-57'14.48" B-79°-57'15.28" C-79°-57'21.31" D-79°-57'25.41" E-79°-57'29.12" F-79°-57'24.09" G-79°-57'20.6" H-79°-57'17.41" | 150 | 112000 | 168000000.00 | 4200000.00 |
| 6 | 1536440201 | Morrur | Yamuna | Hamirpur | Bhaulti Daria - 153644 | 263 by 40 and | 14.0000 | A-26°-2'20.51" B-26°-2'31.71" | A-80°-6'23.64" B-80°-6'27.24" | 150 | 224000 | 336000000.00 | 8400000.00 |

264 by 1

1192

C-26°-2'30.61"
D-26°-2'42.26"
E-26°-2'55.74"
F-26°-2'54.87"
G-26°-2'36.54"
H-26°-2'18.65"

C-80°-6'31.06"
D-80°-6'32.78"
E-80°-6'35.22"
F-80°-6'38.45"
G-80°-6'35.51"
H-80°-6'29.69"

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|--------|----------|---|---|---------|--|---|-----|--------|-------------|-------------|
| 7 | 2185270201 | Morrum | Yamuna | Hamirpur | manki kala thok dariya - 218527 | 1 by 5 Khand no 2 | 20.0000 | A-26°-9'24.36" B-26°-9'27.45" C-26°-9'31.34" D-26°-9'31.75" E-26°-9'23.27" F-26°-9'21.94" G-26°-9'19.19" | A-79°-57'21.43" B-79°-57'13.85" C-79°-56'54.58" D-79°-56'46.78" E-79°-56'50.31" F-79°-57'4.68" G-79°-57'16.55" | 150 | 320000 | 48000000.00 | 12000000.00 |
| 8 | 2185270202 | Morrum | Yamuna | Hamirpur | manki kala thok dariya - 218527 | 1 by 5 Khand no 1 | 24.0000 | A-26°-9'7.98" B-26°-9'28.84" C-26°-9'31.41" D-26°-9'31.75" E-26°-9'23.27" F-26°-9'21.8" G-26°-9'17.97" | A-79°-56'21.18" B-79°-56'25.37" C-79°-56'39.86" D-79°-56'46.78" E-79°-56'50.31" F-79°-56'39.67" G-79°-56'31.59" | 150 | 384000 | 57600000.00 | 14400000.00 |
| 9 | 1536540201 | Morrum | Yamuna | Hamirpur | Sikrodi Daria - 153654 | 247 and 255 by 1 and 254 | 15.8000 | A-26°-1'23.16" B-26°-1'12.22" C-26°-0'53.52" D-26°-0'54.93" E-26°-1'3.06" F-26°-1'9.62" | A-80°-5'54.44" B-80°-5'54.41" C-80°-5'30.83" D-80°-5'26.6" E-80°-5'37.13" F-80°-5'41.69" | 150 | 252800 | 37920000.00 | 9480000.00 |
| 10 | 1536270201 | Morrum | Yamuna | Hamirpur | Umrahat - 153627 | 90 by 3 Khand no 1 | 30.0000 | A-26°-7'51.7" B-26°-7'51.19" C-26°-7'20.24" D-26°-7'9.72" E-26°-7'10.76" F-26°-7'21.5" | A-79°-57'47.64" B-79°-57'56.49" C-79°-57'53.52" D-79°-57'52.54" E-79°-57'42.11" F-79°-57'46.47" | 150 | 480000 | 72000000.00 | 18000000.00 |
| 11 | 1536270202 | Morrum | Yamuna | Hamirpur | Umrahat - 153627 | 90 by 3 Khand no 2 | 24.0000 | A-26°-6'38.09" B-26°-6'36.42" C-26°-6'56.04" D-26°-7'9.72" E-26°-7'10.76" F-26°-6'57.46" G-26°-6'57.33" | A-79°-57'36.16" B-79°-57'43.07" C-79°-57'48.18" D-79°-57'52.54" E-79°-57'42.11" F-79°-57'38.94" G-79°-57'41.38" | 150 | 400000 | 60000000.00 | 15000000.00 |
| 12 | 1537870201 | Morrum | Yamuna | Hamirpur | Surauli Buzurg Daria - 153789, Pateora Danda - 153787 | Khand no-31/4 Gata no-01Mi, 02Mi, 01 & 02 | 36.4370 | A-25°-55'15.56" B-25°-55'30.9" C-25°-55'43.22" D-25°-55'21.43" E-25°-55'19.35" | A-80°-16'15.02" B-80°-16'32.78" C-80°-16'20.68" D-80°-16'0.11" E-80°-16'6.7" | 150 | 546555 | 81983250.00 | 20495812.50 |
| 13 | 1537870203 | Morrum | Yamuna | Hamirpur | Pateora Danda - 153787 | Khand no 31/6 Gata no-01, 02 | 36.4370 | A-25°-55'26.65" B-25°-55'52.42" B'-25°-55'55.47" C-25°-55'56.33" D-25°-55'30.73" | A-80°-15'47.86" B-80°-16'10.6" B'-80°-16'3.67" C-80°-15'57.63" D-80°-15'35.25" | 150 | 546555 | 81983250.00 | 20495812.50 |
| 14 | 1537870202 | Morrum | Yamuna | Hamirpur | Pateora Danda - 153787 | Khand no 31/7 Gata no 01, 02 | 36.4370 | A-25°-55'31.87" B-25°-55'31.87" C-25°-55'54.86" D-25°-55'56.33" E-25°-55'30.73" | A-80°-15'28.86" B-80°-15'18.56" C-80°-15'38.98" D-80°-15'57.63" E-80°-15'35.25" | 150 | 546555 | 81983250.00 | 20495812.50 |
| 15 | 1537880202 | Morrum | Yamuna | Hamirpur | Pateora Danda - 153787 | Khand No 31/8 Gata No-01, 02, 03 | 36.4370 | A-25°-55'27.06" B-25°-55'46.89" C-25°-55'51.11" D-25°-55'54.86" E-25°-55'31.87" F-25°-55'32.2" | A-80°-14'51.18" B-80°-15'13.96" C-80°-15'22.83" D-80°-15'38.98" E-80°-15'18.56" F- | 150 | 546555 | 81983250.00 | 20495812.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|--------|--------|---|--|---------|--|--|-----|--------|-------------|-------------|
| 16 | 1539670208 | Morum | Betwa | Sarila | Chandaut Dariya - 153959, Chandaut Danda - 153960 | Khand no 22/15 Gata no 35/1, 27/1, 439/3, 445/34 | 24.2910 | A-25°-55'22.57" B-25°-55'36.31" C-25°-55'13.2" D-25°-55'6.26" | A-79°-40'47.08" B-79°-41'2.93" C-79°-41'3.23" D-79°-40'54.41" | 150 | 388608 | 58291200.00 | 14572800.00 |
| 17 | 1540500201 | Morum | Betwa | Sarila | Chandwari Dariya - 154048, Ghurauli - 154050 | Khand no-26/5 Gata no-01, 06, 11/1, 01 | 30.4760 | A-25°-48'28.72" B-25°-48'17.86" C-25°-48'2.5" D-25°-48'12.06" | A-79°-25'19.42" B-79°-25'37.72" C-79°-25'28.5" D-79°-25'12.66" | 150 | 487555 | 73133250.00 | 18283312.50 |
| 18 | 1540500205 | Morum | Betwa | Sarila | Chandwari Dariya - 154048 | Khand no-26/7 Gata no-01, 11/1 | 29.9300 | A-25°-48'31.92" B-25°-48'17.97" C-25°-48'20.43" D-25°-48'18.41" E-25°-48'28.82" F-25°-48'27.67" | A-79°-24'15.47" B-79°-24'18.13" C-79°-24'36.13" D-79°-24'50.02" E-79°-24'51.05" F-79°-24'47.43" | 150 | 538740 | 80811000.00 | 20202750.00 |
| 19 | 1540410204 | Morum | Betwa | Sarila | Chikasi - 154041 | Khand no 24/18 Gata no 14/12 | 36.4370 | A-25°-49'11.4" B-25°-49'10.7" C-25°-48'55.7" D-25°-48'53.7" E-25°-49'3.1" | A-79°-27'29.2" B-79°-27'56.1" C-79°-27'54.79" D-79°-27'30.2" E-79°-27'29.31" | 150 | 582992 | 87448800.00 | 21862200.00 |
| 20 | 1538710202 | Morum | Dhasan | Rath | Tola Khagaran - 153871 | Khand no 4 Gata no 1 | 21.0000 | A-25°-42'51.6" B-25°-42'44.1" C-25°-42'27.5" D-25°-42'35.62" | A-79°-22'13.98" B-79°-22'29.3" C-79°-22'22.4" D-79°-22'12.69" | 150 | 335959 | 50393850.00 | 12598462.50 |
| 21 | 1538190201 | Morum | Dhasan | Rath | Jigini - 153819 | 01 Khand no 01 | 25.0000 | A-25°-46'36.98" B-25°-46'41.17" C-25°-46'57.87" D-25°-47'5.31" E-25°-47'3.6" F-25°-46'57.93" G-25°-46'48.86" H-25°-46'41.23" | A-79°-23'47.13" B-79°-23'42.78" C-79°-23'55.93" D-79°-23'58.7" E-79°-24'9.31" F-79°-24'6.53" G-79°-24'1.04" H-79°-23'54.53" | 150 | 400000 | 60000000.00 | 15000000.00 |
| 22 | 1538190202 | Morum | Dhasan | Rath | Jigini - 153819 | 780, 1271Gha Khand no 02 | 20.0000 | A-25°-45'6.06" B-25°-45'2.08" C-25°-44'53.37" D-25°-44'45.58" E-25°-44'43.22" F-25°-44'41.18" G-25°-44'41.2" H-25°-44'35.23" I-25°-44'36.18" J-25°-44'38.73" K-25°-44'42.71" L-25°-44'53.19" M-25°-45'1.34" N-25°-45'7.1" | A-79°-22'35.5" B-79°-22'35.88" C-79°-22'38.46" D-79°-22'42" E-79°-22'44.78" F-79°-22'52.82" G-79°-22'55.32" H-79°-23'4.01" I-79°-22'52.16" J-79°-22'44.9" K-79°-22'36.43" L-79°-22'31.49" M-79°-22'31.81" N-79°-22'32.24" | 150 | 320000 | 48000000.00 | 12000000.00 |
| 23 | 1538190203 | Morum | Dhasan | Rath | Jigini - 153819 | 1271Gha Khand no 03 | 15.3000 | A-25°-43'24.6" B-25°-43'31" C-25°-43'36.8" D-25°-43'39.6" E-25°-43'45.38" F-25°-43'50.11" G-25°-43'43.4" H-25°-43'42.35" I-25°-43'38" J-25°-43'38.7" K-25°-43'35.11" L-25°-43'30.74" | A-79°-23'19.7" B-79°-23'14.5" C-79°-23'20.7" D-79°-23'25.6" E-79°-23'36.33" F-79°-23'44.14" G-79°-23'41" H-79°-23'38.46" I-79°-23'35.12" J-79°-23'31" K-79°-23'27.8" L-79°-23'25.32" | 150 | 244800 | 36720000.00 | 9180000.00 |
| 24 | 1538200201 | Morum | Dhasan | Rath | Gadhar - 153820 | 01 Khand No 01 | 17.7000 | A-25°-42'43.56" B-25°-42'54.61" C-25°-42'59.99" D-25°-43'3.64" E-25°-43'6.24" F-25°-43'9.31" G-25°-43'2.53" H-25°-42'49.14" | A-79°-22'31.95" B-79°-22'36.74" C-79°-22'40.08" D-79°-22'39.08" E-79°-22'41.48" F- | 150 | 283200 | 42480000.00 | 10620000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|--------|--------|---------------------------|-------------------------------|---------|---|---|-----|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 79°-22'39.97" G- 79°-22'33.36" H- 79°-22'20.77" | | | | |
| 25 | 1538200202 | Morrum | Dhasan | Rath | Gadhar - 153820 | 01, 23/2 Khand no 2 | 26.0000 | A-25°-43'7.13" B-25°-43'10.57" C-25°-43'13.73" D-25°-43'16.31" E-25°-43'22.3" F-25°-43'31.84" G-25°-43'26.55" H-25°-43'22.14" I-25°-43'11.41" | A- 79°-22'43.46" B- 79°-22'48.08" C-79°-22'55.2" D-79°-23'2.84" E- 79°-23'19.31" F-79°-23'12.3" G-79°-23'3.5" H- 79°-22'54.53" I-79°-22'41.9" | 150 | 416000 | 62400000.00 | 15600000.00 |
| 26 | 1538770201 | Morrum | Dhasan | Rath | Lidhaura - 153877 | 1118 Khand no 1 | 18.0000 | A-25°-34'52.14" B-25°-34'54.23" C-25°-34'47.12" D-25°-34'41.51" E-25°-34'36.75" F-25°-34'35.25" G-25°-34'34.79" H-25°-34'28.81" I-25°-34'34.53" J-25°-34'44.18" | A-79°-23'1.35" B-79°-23'4.9" C-79°-23'10" D- 79°-23'15.03" E-79°-23'24" F-79°-23'32.5" G- 79°-23'40.45" H- 79°-23'40.46" I-79°-23'15.52" J-79°-23'6.86" | 150 | 288000 | 43200000.00 | 10800000.00 |
| 27 | 1538770202 | Morrum | Dhasan | Rath | Lidhaura - 153877 | 01k, 1118 Khand No 2 | 16.5000 | A-25°-34'52.14" B-25°-34'54.23" C-25°-35'3.84" D-25°-35'10.49" E-25°-35'15.65" F-25°-35'31.56" G-25°-35'36.23" H-25°-35'41.24" I-25°-35'41.24" J-25°-35'28.7" K-25°-35'22.43" L-25°-35'14.21" M-25°-35'11.08" | A-79°-23'1.35" B-79°-23'4.9" C- 79°-22'58.11" D- 79°-22'52.28" E- 79°-22'49.37" F- 79°-22'43.85" G- 79°-22'42.84" H- 79°-22'41.62" I-79°-22'36.73" J- 79°-22'39.78" K- 79°-22'44.97" L-79°-22'48.8" M- 79°-22'47.85" | 150 | 264000 | 39600000.00 | 9900000.00 |
| 28 | 1538710205 | Morrum | Dhasan | Rath | Tola Khagaran - 153871 | 01 Khand No 7 | 10.0000 | A-25°-41'38.96" B-25°-41'33.34" C-25°-41'34.02" D-25°-41'40.87" E-25°-41'46.77" F-25°-41'45.3" G-25°-41'44.85" | A- 79°-22'20.69" B- 79°-22'30.34" C- 79°-22'35.95" D- 79°-22'30.93" E- 79°-22'27.16" F- 79°-22'21.32" G-79°-22'19.4" | 150 | 160000 | 24000000.00 | 6000000.00 |
| 29 | 1540300201 | Morrum | Dhasan | Sarita | Bilgaon - 154030 | 1/1 Khand no 01 | 15.0000 | A-25°-46'26" B-25°-46'30.4" C-25°-46'32.19" D-25°-46'28.21" E-25°-46'26.52" E-25°-46'25.34" | A- 79°-22'17.26" B- 79°-22'15.73" C- 79°-22'44.23" D- 79°-22'49.68" E- 79°-22'46.66" E-79°-22'33.2" | 150 | 240000 | 36000000.00 | 9000000.00 |

2. ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थिति उपखनिज के खनन पट्टा अधिकतम अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जाएगी।

3. ई-निविदा सह ई-नीलामी की विड/वोली उप खनिज की प्रति घन मीटर के लिए दी जाएगी, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न विड/वोली दिए जाने पर विड/वोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीविड अर्नेस्ट मनी जव्त कर ली जाएगी प्राप्त उच्चतम विड/वोली की दर (रूपया प्रति घन मी०) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी०) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी।

4. ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई-निविदा संपन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी विडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान विडर्स ई नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-वोली दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम वोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए विडर अपना वोली पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।

5. किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु विडर्स को विड में भाग लेने से पूर्व प्री विड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।

6. एम०एस०टी०सी० लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एम०एस०टी०सी० के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जाएगी।

7. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाइन विड/वोली हेतु class III Singing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम०एस०टी०सी० के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी०एस०सी० की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

8. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम०एस०टी०सी० के पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कंपनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से विड अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे विड में भाग नहीं ले सकेंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू०-15,000 (रू० पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

9. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी को एम०एस०टी०सी० में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कंपनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान विडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत विडर्स को एम०एस०टी०सी० को ऑनलाइन फॉर्म भेजना अनिवार्य होगा, साथ ही विडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी०एस०टी० सहित रू०-2,360 (रू० दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम०एस०टी०सी० पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही विडर्स का लागिन आई०डी०, पासवर्ड एवं अकाउंट एम०एस०टी०सी० के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत विडर्स जिसके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हें पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा परन्तु नए नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

10. पंजीकरण हेतु विडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

- 1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कंपनी के मामले में कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कंपनी के प्रबंध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति।
- 2) आवेदक का अद्विधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्विधिक चरित्र प्रमाण की प्रति तथा कंपनी के मामले में प्रबंध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कंपनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थाई रूप से निवास करता हो।
- 3) आवेदक का पैनकार्ड की प्रति, फर्म या कंपनी के मामले में उसका पैनकार्ड एवं जी०एस०टी० नं० की प्रति।
- 4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बंधित समस्त वित्तीय हस्तांतरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई०एफ०एस०सी० कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
- 5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय वकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।
- 6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो वोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

11. एम०एस०टी०सी० द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्हीं व्यक्ति/फर्म/कंपनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कंपनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-

- 1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।
- 2) जिसके विरुद्ध खनिज देय वकाया है।
- 3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहाँ वह स्थाई रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
- 4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
- 5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

6) फर्म/कम्पनी के मामलों में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत न किया हो।

12. ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी की बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।

13. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक रु0-15000 (रु0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

15. जहाँ किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहाँ कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

16. अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र अथवा 50 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर आफ इन्टेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

17. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया:-

1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। विड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रतिघन मीटर के लिये दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिये नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही विड प्राप्त होती है और उक्त विड (ऑफर) में प्रति घन मीटर दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदा दाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही विड प्राप्त होता है और उक्त विड (आफर) में प्रति घन मीटर में दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेन्ट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम विड प्राप्त होता है तो सभी विड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पाँच से अधिक विड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।

- 3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग)(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- 4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
- 5) ई-नीलामी की प्रक्रिया जो ई-निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। ई-नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।
- 6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिये बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- 7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

| प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करने की अवधि | ई-निविदा में पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित प्री बिड ईएमडी एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 वेबसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें। | |
|--|---|------------------------------|
| प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेंडर) की अवधि | 12-12-2024 (10:00 बजे) से 17-12-2024 (17:00 बजे) तक | |
| विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक संख्या | प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना व मूल्यांकन | द्वितीय चरण की ई-नीलामी |
| 1 | 18-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 18-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 2 | 18-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 18-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 3 | 18-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 18-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 4 | 18-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 18-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 5 | 19-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 19-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 6 | 19-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 19-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 7 | 19-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 19-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 8 | 19-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 19-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 9 | 20-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 20-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 10 | 20-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 20-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 11 | 20-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 20-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 12 | 20-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 20-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 13 | 23-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 23-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 14 | 23-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 23-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 15 | 23-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 23-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 16 | 23-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 23-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 17 | 24-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 24-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 18 | 24-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 24-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 19 | 24-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 24-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 20 | 24-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 24-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 21 | 26-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 26-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 22 | 26-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 26-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 23 | 26-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 26-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 24 | 26-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 26-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 25 | 27-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 27-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 26 | 27-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 27-12-2024 12:00 से 14:00 तक |
| 27 | 27-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 27-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 28 | 27-12-2024 13:00 से 15:00 तक | 27-12-2024 15:00 से 17:00 तक |
| 29 | 30-12-2024 10:00 से 12:00 तक | 30-12-2024 12:00 से 14:00 तक |

8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:-

(क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार 11408 के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (विडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य हैं अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की ई-नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. पट्टे का दिया जाना: नियमावली के नियम-28 के प्राविधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उम जनपद के जिलाधिकारी, जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा कराना होगा। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा वयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जप्त कर ली जायेगी।

20. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-

- 1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिये विजसि में आंकलित मात्रा घन मीटर को ई-निविदा/ई-नीलामी की दर रुपया घन प्रति मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- 2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्वन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किस्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करेगा। वयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।
- 3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किस्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहारधारको द्वारा पंचम अनुसूची प्रक्रिया अन्तर्गत धनराशि जमा करने के अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- 4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमाकंन करायेगा जिसमें सीमा विन्दुओं का जिओ-कोआर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा और इसका सदैव अनुरक्षण करेगा।
- 5) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय अश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
- 6) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किस्त की धनराशि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रियां तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

21. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :

- 1) पट्टे की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
- 2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री विड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुये जमा किया जाना होगा। प्रीविड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा आनलाईन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जप्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।
- 3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

4) पट्टाधारक द्वारा पट्टा धनराशि के किशतो के सापेक्ष राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22. शर्तें :-

- 1) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर विडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 2) पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित किया जायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बों को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दशाएँ गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक होगा।
- 3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जानबूझ कर कोई स्थगन किये विना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षता पूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।
- 4) पट्टाधारक नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट/तौल मशीन का निर्माण करेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त चेक पोस्ट/ गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई- प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित वार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगा और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गई समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- 5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित वार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैन लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
- 6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
- 7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- 8) नदी की जलधारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- 9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिज का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- 10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- 11) विज्ञापित क्षेत्रों के सम्बन्ध में पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगी।
- 12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
- 13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
- 14) शर्त संख्या-19 के अनुसार ई-नीलामी के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर मूल अभिलेख का सत्यापन नहीं कराने पर बयाने की धनराशि (अनेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।
- 15) पट्टाधारक द्वारा वन अनापत्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। खनिजों के परिवहन के लिये वन भूमि/वन मार्ग का प्रयोग नियमानुसार वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा।
- 16) प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है तो, संशोधन की सूचना www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी। विज्ञप्ति में संशोधन की सूचना अलग से आवेदक को नहीं दी जायेगी।
- 17) सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रिलवे लाईन, निवसित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- 18) पट्टा समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तरित किये जाने में प्रस्तावक को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 19) अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर) में दी गयी समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

जिलाधिकारी
Hamirpur |

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख, सचिव, उ0प्र0 शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ।


2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ 226010
3. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
4. शाखा प्रबंधक MSTC Limited भूतल वेयर हाउसिंग भवन CWC क्षेत्रीय कार्यालय परिसर विभूतिखंड गोमतीनगर लखनऊ 226010।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी हमीरपुर को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हमीरपुर को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. उपजिलाधिकारी, हमीरपुर, मौदहा, सरीला व राठ को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार प्रसार कराये।
10. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट हमीरपुर को कलेक्ट्रेट के सूचना पट पर चम्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी
Hamirpur।

Abandey

TRUE COPY

Signature Not Verified



Digitally signed by
Date: 2024.11.13 18:01:03
Hamirpur
District Magistrate



1201

ANNEXURE R-3

25

कार्यालय जिलाधिकारी, Hamirpur

(संगन-अनुभाग)
संगन पट्टा हेतु सहमति पत्र (Letter of Intent)

MINES MITRA

पत्रांक: LOI/2025/1/17-01-2025 00:00:00/445960

दिनांक: 17-01-2025

उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम २३ के अंतर्गत खनन पट्टा के सहमति पत्र से सम्बंधित।

| निविदाकर्ता का सक्षिप्त विवरण | |
|-------------------------------|---|
| निविदाकर्ता का नाम | JAY SHRI MAHAKAL CONSTRUCTION (mstc/JAY SHRI MAHAKAL CONSTRUCTION/553622) |
| निविदाकर्ता का पता | 471 RAJENDRA NAGAR BABI RD, ORAI |
| निविदाकर्ता का मोबाइल नं० | 8081781129, - |
| खनन पट्टा की अवधि | 60 माह अथवा मात्रा जो पहले पूर्ण हो। |

| संगन पट्टा का विवरण | | | | | |
|---------------------|----------|-------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| एरिया कोड | खनपट्टा | तहसील | ग्राम/मोहल्ला | गाटा (प्लॉट) संख्या | क्षेत्रफल/मात्रा |
| 1538770201 | Hamirpur | Ralh | लिधीरा - 153877 | 1118 Khand no 1 | 18.0000 हे० / 288000.00 घन मी० |

| देय धनराशि | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------|
| अनुभाव उपखनिज | अनुभाव मात्रा | उत्पन्न बिल दर (₹) | प्रथम वर्ष की देय धनराशि (₹) | अन्येक मती (प्रथम वर्ष की देय धनराशि का 25%) (₹) | प्रथम वर्ष की प्रथम किस्त (प्रथम वर्ष की देय धनराशि का 20%) (₹) | श्रीचिद समायोजित अवशेष धनराशि (₹) | देय DMF (₹) | देय TCS (₹) | अन्य |
| Morrum | 288000.00 घन मी० | 841.00 | 242208000.0000 | 60552000.0000 | 48441600.0000 | 98193600.00 | 4844160.00 | 968832.00 | 0.00 |
| कुल | | | 242208000.0000 | 60552000.0000 | 48441600.0000 | 98193600.00 | 4844160.00 | 968832.00 | 0.00 |

नतः आपने अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त देय धनराशि ३ कार्य दिवस के अंदर जमा करा कर चालान की मूल प्रति upminmitra.in पोर्टल पर अपने लॉगिन से अपलोड करें ताकि आपको नियमानुसार खनन पट्टा निर्गत करने की कार्यवाही की जा सके।

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

Digitally signed by Ghanashyam Meena
Date: 17 Jan 2025 12:23:22

Hamirpur

1. भक्त बोधीराता/भिविदासता, पट्टे की निर्धारणों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की मकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली निश्चय के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की मकल धनराशि 20 प्रतिशत को कार्य दिनांक के अन्दर जमा करेगा। प्रस्तावक द्वारा बचाने की जमा धनराशि (अर्नेस्ट मनी) को प्रथम निश्चय में नमायोजित कर की जायेगी।
2. पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किले एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित मकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष के 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2020 उपचयित (परिहार) नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
3. पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा (जिसमें सीमा विस्तारों का जीओ-कोऑर्डिनेट्स भी उचित किया जायेगा) तथा नियम-36 के अनुसार सीमा-स्वम्भ नमायेगा तथा इतका अनुसूचन करेगा।
4. पंचनित आवेदक नियम-35 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर धनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक-14.09.2006 सप्टिम्बर अधिसूचना दिनांक-15.01.2016 तथा समय-समय पर यथासंशोधित उपवर्षों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
5. पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु विचारी अध्यासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
6. नेटर आफ इन्टेड जारो होने के एक माह के अन्दर अनुनोदन हेतु दैय प्रतिभूति एवं प्रथम किस्त की धनराशि के जमा होने के प्रमाण पत्र सहित धनन योजना निदेशक, भूतल एवं धनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त में अनुनोदित धनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर मसम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य रहेगा।
7. नियम-35 में उल्लिखित उपवर्षों के अनुसार नियत की गयी एक माह की अवधि के भीतर धनन योजना प्रस्तुत नहीं किया जाता है या पर्यावरण अनापत्ति स्वीकृत हेतु आवेदन नहीं किया जाता है, तो 30-दस हजार प्रतिदिन की क्षति के लिये दायी होगा। शास्त्रिकी धनराशि जमा करने में विफल होने पर उक्त धनराशि को जिना मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से कटौती की जायेगी यदि प्रस्तावक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के एक माह के भीतर पट्टा विवेचन का निष्पादन करने में विफल हो जाता है तो जिना मजिस्ट्रेट अक्षय पत्र निरस्त करने के पश्चात् प्रस्तावक द्वारा जमा की गयी प्रथम निश्चय और प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर लिया जायेगा।
8. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त के एक माह के भीतर पट्टा विवेचन का निष्पादन कराकर धनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।
9. पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आभकर विभाग का टी0सी0एस0, जिना सनिज फाउण्डेशन न्याय (टी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
10. वह कि प्रस्तुत अभिलेख सूचकित जमा ज्ञाने की दशा में लेट्टर ऑफ इन्टेड (सहमति पत्र) निरस्त कर दिया जायेगा और बचाने की धनराशि/अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर ली जायेगी।
11. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होना है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रस्तापित की जाती है तो वह पट्टाधारक को मान्य होगा।
12. अतिरिक्त शर्तें
13. पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से तीन माह के भीतर धनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तलाशात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी धनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति के सुझाव कारीगर की भांति करेगा।
14. पट्टेदार नियम-36 के अनुसार बाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 रिडि कीण पर दृश्या रिफार्डिंग के साथ चार टी0सी0टी0सी0 कॅमरा लगाने सहित चेक पोस्टिंग का निर्माण करेगा। पट्टेदार उक्त चेक पोस्टिंग पर आर0एफ0आई0टी0 स्केनर भी रहेगा, जिससे सम्बन्धित धनन पट्टा क्षेत्र से उपवर्षों के परिवहन हेतु प्रदुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निगन किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डारा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं नदय उक्त चालू रूप में अनुसूचित रहेगा। पट्टेदार उक्त टी0सी0टी0सी0 कॅमरा और थार0एफ0आई0टी0 स्केनरों द्वारा की गयी कमल रिफार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रहेगा और नियम-66 के उपवर्षों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिफार्डिंग मॉडे जाने पर उक्त रिफार्डिंग को उपसंभ्य करायेगा।
15. पट्टेदार प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सहि विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-गम0एम0-11 पर जतित बार कोड को चेक गेट पर गढ़ने तथा दर्ज करा देव करने के लिये थार0एफ0आई0टी0 स्केनर लगायेगा तथा नदय उक्तका अनुसूचन करेगा और उन्हे सहि एवं चालू दशा में रहेगा। उक्तका अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्त्रिकी का भागीदार होगा।
16. पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा कम लर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
17. पट्टेदार द्वारा सुरक्षा मानकी के अनुसार धनन संक्रिया किया जायेगा।
18. जिनाधिकारी द्वारा चिह्नित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
19. नदी की खन धारा से तेनशन मशीन, सिपटर आदि मशीनों द्वारा धनन कार्य नहीं किया जायेगा।
20. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परियहन प्रथम निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर धनिकों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
21. यदि पट्टेदार द्वारा नियमों व धनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र धनन योजना, नेटर आफ इन्टेड आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बचाने की सुक्ति बुक्ति अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिनाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
22. धननपरिवहन में जगधन की हानि की समस्त जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।
23. मा0 उड्ड न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
24. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई बाद अथवा अथगधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इनकी गम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
25. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होना है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रस्तापित की जाती है तो वह पट्टेदार को मान्य होगा।
26. पट्टेदार द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आभकर विभाग का टी0सी0एस0, जिना सनिज फाउण्डेशन (टी0एम0एफ0) नियमानुसार जमा किया जायेगा।
27. पट्टेदार को धनन क्षेत्र में पट्टेन मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि वृगीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
28. पट्टेदार को उत्तर प्रदेश उपचयित (परिहार) नियमावली 2021 यथा संशोधित एवं सुसंगत शासनादेशों एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों को अधारमः पालन करना होगा।
29. पट्टेदार स्वीकृत एवं चिह्नित धनन क्षेत्र से बाहर जिनी भी दशा में धनन कार्य नहीं करेगा, साथ ही मा0 उड्ड न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करेगा।
30. पट्टेदार नियमावली 2021 के नियम-75 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वेमस के संबंध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रथम एम0एम0-12 में जिनाधिकारी और निदेशात्मक के क्षेत्रीय कार्यालय को वेमसिक विवरण प्रस्तुत करेगा तथा चिनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होने पर रु0 2,000.00 की क्षान्ति का भागीदार होगा तथा पट्टेदार की ऐगी चूक, धनन पट्टा विवेचन की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।
31. धनन कार्य करने के दौरान यदि कोई अन्य धनन/उपचयित प्राप्त होता है तो उसकी सूचना पट्टेदार तत्काल जिना कार्यालय तथा भूतल एवं धनिकर्म विभाग (उपचयित) के क्षेत्रीय कार्यालय एवं निदेशात्मक को देगा।
32. पट्टेदार को पट्टेकृत क्षेत्र में अधिक के समुचित विभाग हेतु वैज्ञानिक ढंग से धनन कार्य करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धनन/उपचयित का धनन व निगामी करने के उपरान्त क्षेत्र का समतलीकरण कर वहाँ वृक्षारोपण करना होगा।
33. स्वीकृत क्षेत्र में न्यायी सीमा स्तम्भ लगाने के बाद ही धनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।
34. धनन पट्टा स्वीकृति के पश्चात् धनिकर्म में वन विभाग या किसी अन्य विभाग द्वारा शर्तों के विपरीत कार्य करने के कारण आपत्ति किये जाने पर उक्त नियमावली 2021 के नियम 61 के अधीन सुनिश्चित अवसर दिये जाने के पश्चात् धनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।

(Handwritten Signature)

1203
 1. धनन क्षेत्र तक पहुँच मार्ग स्वयं के खर्च पर बनवाया जाएगा। यदि भूमिजों के पाकिस्तानी मालिकों को धनन क्षेत्र की भूमि से होकर रास्ते का निर्माण किया जाता है तो सम्बन्धित आगकार की विधिगत महामति की अधिसूचना के अन्तर्गत, हथियार मंडे व प्रयुक्त करना अनिवार्य होगा। रास्ते के निर्माण में होने वाले खर्च के लिए राज्य सरकार का कोई उपचारित्व नहीं होगा।

धनन क्षेत्र से निकलने वाले सड़क पथों का अभिगहन वन विभाग की लिखित सहमति के बिना वन मार्ग से नहीं किया जायेगा।

38. स्वीकृत धनन पट्टा क्षेत्र की परिधि के बाहर कोई अर्थात् धनन पाये जाने पर उक्त नियमानुवली 2021 के नियम 61 के अधीन मुक्तिमुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात धनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।
39. स्वीकृत धनन पट्टा क्षेत्र के भीतर किसी प्रतिबन्धित क्षेत्र (यदि कोई हो) में धनन कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रतिबन्धित क्षेत्र में धनन पाये जाने पर नियमानुसार धनन पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
40. 5050 उपखण्ड (परिहार) नियमानुवली, 2021 के नियम-35 के अनुसार निदेशालय द्वारा अनुमोदित धनन योजना में उल्लिखित शर्तों का पालन पट्टेदार को किया जाना आवश्यक होगा।
41. पट्टा समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तर्गत किये जाने में पट्टाधारक को कोई आपत्ति नहीं होगी।
42. धनन पट्टाधारक द्वारा धनन कार्य को बन्द करने के बाद, धनन क्षेत्र और किसी भी अन्य क्षेत्र, जो कि धनन क्रियाकलाप से अस्तित्व में हो गये हैं उन क्षेत्रों में पास रोपण किया जायेगा तथा भूमि को पुनः ऐसी स्थिति में किया जायेगा, जो पेड़ पौधे व वीथ वन आदि के पनपने के लिये उपयुक्त हो।
43. धनन पट्टा स्वीकृत/निश्चित किये जाने उपरान्त जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत धनन कार्य की प्रगति व धनन स्थल की सीमाओं में किसी प्रकार की अर्थात्करण किये जाने की गारंटी नहीं की जायेगी।
44. स्थानीय स्थिति तथा परिवर्ध को ध्यान रखते हुये अन्य शर्तों को जिम्माधिकारी द्वारा उचित समझी जायेगी पट्टेदार को मान्य होगा।
- 45.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

TRUE COPY

1204

28

ANNEXURE R-4



Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09AAVFJ0949G1ZU

| | | | | | |
|---|--|--|---|----|----------------|
| 1. | Legal Name | JAY SHRI MAHAKAL CONSTRUCTION | | | |
| 2. | Trade Name, if any | JAY SHRI MAHAKAL CONSTRUCTION | | | |
| 3. | Additional trade names, if any | | | | |
| 4. | Constitution of Business | Partnership | | | |
| 5. | Address of Principal Place of Business | Building No./Flat No.: 471 Road/Street: RAJENDRA NAGAR BABI RD City/Town/Village: Orai District: Jalaun State: Uttar Pradesh PIN Code: 285001 | | | |
| 6. | Date of Liability | | | | |
| 7. | Period of Validity | From | 02/12/2024 | To | Not Applicable |
| 8. | Type of Registration | Regular |  | | |
| 9. | Particulars of Approving | Uttar Pradesh | | | |
| Signature <div style="text-align: right;"> Signature valid Digitally signed by D/S GOODS AND SERVICES TAX NETWORK 15 Date: 2024.12.02 16:45:51 IST </div> | | | | | |
| Name | | Ashish Mishra | | | |
| Designation | | Assistant Commissioner | | | |
| Jurisdictional Office | | Jalaun, Sector-3 Orai | | | |
| Date of issue of Certificate | | 02/12/2024 | | | |
| Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State. | | | | | |

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 02/12/2024 by the jurisdictional authority.



Goods and Services Tax Identification Number: 09AAVFJ0949G1ZU

Details of Additional Place of Business(s)

Legal Name JAY SHRI MAHAKAL CONSTRUCTION
Trade Name, if any JAY SHRI MAHAKAL CONSTRUCTION

Total Number of Additional Places of Business in the State 0

Goods and Services Tax

Pruning






Goods and Services Tax Identification Number: 09AAVFJ0949G1ZU

Legal Name JAY SHRI MAHAKAL CONSTRUCTION

Trade Name, if any JAY SHRI MAHAKAL CONSTRUCTION

Details of Managing / Authorized Partners

| | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|
| 1 |  | Name | SHYAMA DEVI |
| | | Designation/Status | PARTNER |
| | | Resident of State | Uttar Pradesh |
| 2 |  | Name | VYAS VERMA |
| | | Designation/Status | PARTNER |
| | | Resident of State | Uttar Pradesh |
| 3 |  | Name | SWATANTRA VIJAY SINGH |
| | | Designation/Status | PARTNER |
| | | Resident of State | Uttar Pradesh |

Goods and Services Tax

Akandey

TRUE COPY

[Signature]

ANNEXURE R-5

परिषद्
PARYESH
 Ministry of Environment, Forest and Climate Change

परिषद्, नए और संरक्षण पर्यावरण
 Ministry of Environment, Forest and Climate Change

WELCOME, Shyama Devi (Designation: DIRECTOR, Role: Project Proponent (Super User))

Sand/Morrum Mine from Riverbed of Dhasan River, Village- Lidhaura, Gata No.- 1118 Khand No.- 01, lease area- 18.00 Ha, Tehsil- Rath, District- Hamirpur, Uttar Pradesh, Project Proponent- M/s Jay Shri Mahakal Construction (Partner- Smt Shyama Devi W/o Shri Chandan Singh) Detail - (SW No. : SW/236540/2025)

UTTAR PRADESH | HAMIRPUR

Applied on: 23/02/2025

CAF/221349/2025
 Applicant : SHAYAMA DEVI

[View Common Application Form](#)

Apply Project Clearance
 Select Clearance Type

Select Application Form
 Select Applicable Form

Clearances Applied
 Application for ToR (Category A, B1, and B2 Violation)/EC (Category B2) - Form I

| Proposal No. | Proposal State | Proposal Status | Proposal Submission Date |
|------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| SIA/UP/MIN/525765/2025 | UTTAR PRADESH | | 25/02/2025 |

[View Form](#) | [Track](#) | [Archive](#)

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

TRUE COPY

VAKALATNAMA
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

ORIGINAL APPLICATION NO. 09 OF 2025

IN Re :-

VINAY SHRIVASTAVA

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We **SWATANTRA VIJAY PROP. M/S JAI SHREE****MAHAKAL CONSTRUCTION**

the abovenamed

RESPONDENT NO. 12

do hereby appoint

ASHISH PANDEY, Advocate

D/1902/2023

RC-139, Prem Vihar, Khora Colony, Gzb, UP

Mobile No :- 8447229428

Email :- Advocate.ashishpandey16@gmail.com

(herein after called the advocates) to be my/our Advocate in the above-noted case authorize them :-

- To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me/us.
- To sign file verify and present pleadings appeals cross-objections or petitions for executions review revision withdrawal compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.
- To fill and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.
- To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.
- To take execution proceedings.
- The deposit draw and receive money cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.
- To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes

And I/We undertake that I/We or my/our duly authorized agent would appear in Court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned do hereby agree not to hold the advocate of his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself

And I/We the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fees is paid. I/We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more that 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these present the contents of which have been understood by me/us on this 16th Day July of 2025

Accepted subject to terms of fees.

Ashish Pandey
ADVOCATE

ASHISH PANDEY
Advocate
Delhi High Court
RC-139, Prem
Khora Colony
Mob. 8447229428

Swatantra
CLIENT

SWATANTRA VIJAY SINGH

